

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

2022/242 ✓


शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मिठोली की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 144 में भैरानाम जंश पुत्र जाशराम खैरा दर्ज है के वजह नंदराम पुत्र जाशराम खैरा दर्ज करवाना चाहिए
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-


प्रार्थी

नि. शाहपुरा
शाहपुरा

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम मिठोली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 144 में प्रार्थी का नाम नं. दे. दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम नंदराम है। जो संशोधित किया जाना उचित है।


अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।


पटवारी मिठोली

भू.अ.नि. मिठोली
24.10.2021

रिपोर्ट तहसीलदार... दीकोला

प्रार्थी द्वारा रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मिठोली व भू.अ.नि. मिठोली एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम मिठोली की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 144 में प्रार्थी का नाम नं. दे. के बजाय नंदराम किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।


तहसीलदार दीकोला
दीकोला जिला-भारत

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दीकोला ग्राम मिठोली जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 144 में दर्ज प्रार्थी का नाम नं. दे. के स्थान पर नंदराम

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी
भनारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भाजवाड़ा)

197/22
17/6/22